पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

<u>राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सदस्यों को शपथ दिलायी</u>

लखनऊः 14 जुलाई, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नवनियुक्त तीन सदस्यों को शपथ दिलायी। श्री शिव शंकर सिंह, श्री शंकर सिंह तथा सुश्री रेखा गुप्ता ने समारोह में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री कपिल देव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एन0सी0 बाजपेई, प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल सुश्री जूथिका पाटणकर सहित राजभवन एवं नगर विकास के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री एस0पी0 सिंह पदेन सचिव नगर विकास ने किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दूरभाष पर अवगत कराया कि अपरिहार्य कारणों से वे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 की धारा-4(1) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति हेतु श्री शिव शंकर सिंह, श्री शंकर सिंह, सुश्री रेखा गुप्ता तथा श्री श्रीप्रकाश सिंह के नाम नगर विकास मंत्री श्री मो0 आजम खाँ के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को संस्तुति प्रदान करने हेतु भेजे गये थे। चतुर्थ नवनियुक्त सदस्य श्री श्रीप्रकाश सिंह उपस्थित होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से आज शपथ ग्रहण नहीं कर सकें।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड 14 निगमों, 194 नगर पालिकाओं एवं 427 नगर पंचायत यानि कुल 635 ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सलाह देता है। गत चार वर्षो से बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पायी थी। वर्तमान अध्यक्ष श्री कपिल देव के पांच साल का कार्यकाल 31 जुलाई, 2016 को समाप्त हो रहा है।

यह पहला अवसर है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की सदस्यों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलायी गयी है। अधिनियम के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य को शपथ दिलाने के लिए ऐसा भी प्राविधान है कि राज्यपाल चाहे तो स्वयं शपथ दिला सकते हैं या किसी दूसरे को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

अंजुम/ललित/राजभवन (244/14)